

1 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 579/2013

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 579/2013 इ0फो0

संस्थापित दिनांक 23/08/2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. भूरा उर्फ रवि पुत्र श्री ताती मिर्धा
उम्र 23 वर्ष व्यवसाय मजदूरी
निवासी ग्राम पिपरोली गोहद
पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा-25 (1-बी) (बी) आयुध अधिनियम ।)
(राज्य द्वारा एडीपीओ श्री आलोक उपाध्याय ।)
(आरोपी द्वारा अधिवक्ता-श्री एम0एस0यादव)

::- निर्णय -::

(आज दिनांक 18/11/2016 को घोषित किया)

1 आरोपी पर दिनांक 10/08/13 को 22:00 बजे बाला जी मंदिर के पास एचाया रोड गोहद में लोक स्थान पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 4 के अंतर्गत धारा म0प्र0 शासन की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552 -11-बी (1) दिनांक 22/11/1974 के उल्लंघन में वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक निशेधित आकार की लोहे की धारदार छुरी अपने आधिपत्य में रखने हेतु आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 10/08/13 को पुलिस थाना गोहद के ए0एस0आई राजपाल सिंह तोमर मय फोर्स शासकीय वाहन से कस्बा गश्त पर रवाना हुये थे रोड पेट्रोलिंग करते हुये वह एचाया रोड गोहद बाला जी मंदिर के पास पहुंचे थे तो सर्व लाईट में मंदिर की उत्तर की तरफ एक व्यक्ति छिपा हुआ दिखा था जिसे टोका था तो वह पीछे की ओर धीरे धीरे चलने लगा था तब मंदिर पर मौजूद मुन्ना खटीक एवं फोर्स की मदद से उसे घेरकर पकड़ा था नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम भूरा उर्फ रवि बताया था। तलाशी लेने पर उसके दाहिनी तरफ कमर में पेंट के नीचे एक लोहे की छुरी खुसी हुई मिली थी। आरोपी के पास छुरी रखने बाबत लाईसेंस नहीं था आरोपी से उसने मौके पर ही छुरी जप्त कर एवं आरोपी को गिरफ्तार कर जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की

थी। तत्पश्चात थाना वापिस आकर उसने आरोपी के विरुद्ध अप0क्र0129/13 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया था। विवेचना के दौरान उसने साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये थे एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपी को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध करने से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक पृथक से अंकित किया गया।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 10/08/13 को 22:00 बजे बाला जी मंदिर के पास एचाया रोड गोहद में लोक स्थान पर आयुध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जारी म0प्र0 शासन की अधिसूचना के उल्लंघन में वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक निशेधित आकार की लोहे की धारदार छुरी अपने आधिपत्य में रखी?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी मुन्ना खटीक आ0सा01, ए0एस0आई मूलचन्द्र आ0सा02, ए0एस0आई तहसीलदार आ0सा03, एवं ए0एस0आई राजपाल सिंह आ0सा04 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में ए0एस0आई राजपाल सिंह आ0सा04 जो कि जप्तीकर्ता है ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 10/08/13 को मय फोर्स थाना गोहद से रोड पेट्रोलिंग के लिये खाना हुआ था। दौरान गश्त बाला जी मंदिर के सामने पहुंचा था जहां पर एक व्यक्ति उसे मिला था नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम भूरा उर्फ रवि मिर्धा बताया था। संदेह होने पर उसकी तलाशी ली थी तो उसके पास से लोहे की छुरी जिसकी लम्बाई 8 इंच थी अवैध रूप से पाई गई थी। छुरी पाये जाने से उसने आरोपी से छुरी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी01 साक्षियों के समक्ष बनाया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मौके पर ही उसने आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी02 बनाया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। रोजनामचा खानगी प्र0पी05 एवं वापसी प्र0पी06 है। उसने आरोपी के विरुद्ध प्र0पी04 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र02 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि थाने से वह लोग चैकिंग के लिये 18:50 पर निकले थे वह चक्रधारी मंदिर के अलावा गोहदी गांव मंडी रोड एवं बरथरा रोड गये थे इसके बाद एचाया रोड पहुंचे थे। उक्त स्थानों पर पेट्रोलिंग में उसे तीन साढ़े तीन घंटे का समय लगा था। एचाया रोड पर वह 21:40 बजे पहुंचे थे। पद क्र03 में इस साक्षी का कहना है कि आरोपी छिपा बैठा था वह जगह से भागा नहीं था। उसने टार्च के प्रकाश से लिखा पढ़ी की थी।

8. ए0एस0आई मूलचन्द्र आ0सा02 ने भी अपने कथन में जप्तीकर्ता ए0एस0आई राजपाल

सिंह आ0सा04 के कथन का समर्थन किया है एवं घटना दिनांक को ए0एस0आई राजपाल सिंह के साथ बाला जी मंदिर के पास जाने तथा आरोपी से छुरी जप्त करने बाबत प्रकटीकरण किया है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि दरोगा जी ने उसके सामने आरोपी से छुरी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी01 एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी02 बनाया था जिनके क्रमशः बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9. साक्षी मुन्ना खटीक आ0सा01 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना के बारे में कोई जानकारी न होना बताया है। उक्त साक्षी ने मात्र जप्ती पंचनामा प्र0पी01 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी02 के क्रमशः ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी से छुरी जप्त की थी एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी भूरा को गिरफ्तार किया था।

10. ए0एस0आई तहसीलदार सिंह आ0सा03 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

11. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोजन घटनाका समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

12. प्रस्तुत प्रकरण में ए0एस0आई राजपाल सिंह आ0सा04 जो कि जप्तीकर्ता है ने अपने कथन में यह बताया है कि वह थाने से चैंकिंग के लिये 18:50 पर निकले थे तथा चैंकिंग के दौरान वह चक्रधारी मंदिर गोहदी गांव मंडी रोड एवं बरथरा रोड गये थे इसके बाद वह एचाया रोड पहुंचे थे। जबकि ए0एस0आई मूलचन्द्र आ0सा02 का कहना है कि वह गोहद थाने से सीधे पेट्रोलिंग के लिये एचाया रोड पर गये थे। ए0एस0आई राजपाल सिंह आ0सा04 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि वह थाने से चैंकिंग के लिये 18:50 पर निकले थे तथा तीन साढ़े तीन घंटे बाद वह 21:40 बजे एचाया रोड पर पहुंचे थे जबकि जप्ती की कार्यवाही के साक्षी ए0एस0आई मूलचन्द्र आ0सा02 ने कथन किया है कि थाने से निकलने के एक घंटे बाद ही वह बाला जी मंदिर के पास एचाया रोड पर पहुंच गये थे। ए0एस0आई राजपाल सिंह आ0सा04 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि जब उसने आरोपी को पकड़ा था तो आरोपी भागा नहीं था वह छिपा हुआ बैठा था जबकि ए0एस0आई मूलचन्द्र आ0सा02 का कहना है कि मंदिर से आरोपी थोड़ी दूर भागा था तब आरोपी को दरोगा जी ने पकड़ा था। जप्तीकर्ता राजपाल सिंह आ0सा04 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि उसने टार्च के प्रकाश से मौके पर लिखा पढी की थी जबकि जप्ती के साक्षी मूलचन्द्र आ0सा02 का कहना है कि गिरफ्तारी और जप्ती पंचनामा गाडी की लाईट के सामने बनाया गया था। इस प्रकार ए0एस0आई राजपाल सिंह आ0सा04 एवं मूलचन्द्र आ0सा02 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षीगण के कथन अपने परस्पर अत्यन्त विरोधाभासी रहे हैं। उक्त विरोधाभाष अत्यन्त तात्विक है जो संपूर्ण अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देता है।

13. जप्तीकर्ता ए0एस0आई राजपाल सिंह आ0सा04 ने अपने कथन में आरोपी से 8 इंच लम्बी छुरी जप्त करना बताया है परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उसे आरोपी के शरीर के किस भाग से उक्त छुरी बरामद हुई थी। उक्त साक्षी द्वारा जप्तशुदा छुरी की पहचान के संबंध में भी कोई कथन नहीं किया गया है। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

14. ए0एस0आई राजपाल सिंह आ0सा04 ने अपने कथन में आरोपी से लोहे की छुरी जप्त करना तो बताया है परन्तु उक्त साक्षी द्वारा जप्तशुदा छुरी को मौके पर शीलबंद किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं दिया गया है। ए0एस0आई मूलचन्द्र आ0सा02 ने भी जप्तशुदा छुरी के मौके पर शीलबंद किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं दिया है। यद्यपि प्र0पी01 के जप्ती पंचनाम में जप्तशुदा छुरी के मौके पर शीलबंद करने का उल्लेख है परन्तु यह बात जप्तीकर्ता राजपाल सिंह आ0सा04 एवं साक्षी मूलचन्द्र आ0सा02 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में नहीं बताई गई है। इसके अतिरिक्त जप्ती पंचनामा प्र0पी01 में जप्तशुदा छुरी को मौके पर शीलबंद करने का उल्लेख है परन्तु ए0एस0आई मूलचन्द्र आ0सा02 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि जब जप्ती की कार्यवाही की गई थी उस समय शील चपड़ी आदि सामग्री साथ में नहीं थी। इस प्रकार मूलचन्द्र आ0सा02 के कथनों से यहीं दर्शित होता है कि तथा कथित जप्ती की कार्यवाही के समय पुलिस के पास शील बंद करने की सामग्री शील चपड़ी इत्यादि नहीं थी। ऐसी स्थिति में यह संदेहास्पद हो जाता है कि उक्त छुरी को मौके पर शीलबंद किया गया था एवं जप्ती पंचनामा प्र0पी01 की कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है।

15. ए0एस0आई राजपाल सिंह आ0सा04 एवं मूलचन्द्र आ0सा02 ने आरोपी से छुरी जप्त करना बताया है परन्तु जप्ती की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षी मुन्ना खटीक आ0सा01 द्वारा उक्त कथन का समर्थन नहीं किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि उसके सामने आरोपी से लोहे की छुरी जप्त नहीं की गई थी। इस प्रकार स्वतंत्र साक्षी मुन्ना खटीक आ0सा01 द्वारा ए0एस0आई मूलचन्द्र आ0सा02 एवं राजपाल सिंह आ0सा04 के कथन का समर्थन नहीं किया गया है। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

16. ए0एस0आई राजपाल सिंह आ0सा04 एवं मूलचन्द्र आ0सा02 ने घटना दिनांक को थाने से मय फोर्स रोड पेट्रोलिंग के लिये रवाना होना बताया है परन्तु इस संबंध में अभियोजन द्वारा रोज नामचा सान्हा विधिवत प्रमाणित नहीं कराया गया है। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

17. उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रस्तुत प्रकरण में जप्तीकर्ता ए0एस0आई राजपाल सिंह आ0सा04 एवं मूलचन्द्र आ0सा02 के कथन तात्विक बिन्दुओं पर परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। स्वतंत्र साक्षी द्वारा जप्ती की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है। रोजनामचा सान्हा भी विधिवत प्रमाणित नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

18. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करें यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है

तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

19. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 10/08/13 को 22:00 बजे बाला जी मंदिर के पास एचाया रोड गोहद में लोक स्थान पर आयुध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जारी म0प्र0शासन की अधिसूचना के उल्लंघन में वैध अनुज्ञाप्ति के बिना एक निशेधित आकार की लोहे की धारदार छुरी अपने आधिपत्य में रखी। फलतः यह न्यायालय आरोपी भूरा उर्फ रवि को संदेह का लाभ देते हुये उसे आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (बी) के आरोप से दोषमुक्त करती है।

20. आरोपी पूर्व से जमानत पर है। उसके जमानत मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

21. प्रकरण में जप्तशुदा छुरी पूर्व में ही नष्ट हो चुकी है। अतः प्रकरण में निराकरण योग्य कोई सम्पत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद

दिनांक – 18/11/2016

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)